Specific Recommendation by DCF for accepeance or otherwise of the proposal

चौधरी चरण सिहं कांवड मार्ग जो कि अपर गंगा नहर की दाहिनी पटरी पर कि.मी. चैनेज 108.750 से कि.मी. चैनेज 151.050 मेरठ जनपद में बनाया जाना प्रस्तावित है । इस परियोजना में सडक निर्माण हेतु 66685 पौधों एवं पेडों का पातन प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूची संलग्न है । जिसके कारण वहां के स्थानीय वातावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडेगा ।

क्षेत्रीय वन अधिकारी सरधना के पत्रांक 356/14–1 दिनांक 27.3.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित परियोजना के फलस्वरूप आने वाले पांच आवासीय भवनों, एक वन चेतना केन्द्र भवन, एवं रेंज कार्यालय भवन पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा ।

उपरोक्त दिये गये बिन्दुओं के आलोक में भूमि परिवर्तन प्रस्ताव पर प्रभागीय निदेशक, मेरठ की संस्तुतियां निम्न प्रकार हैः–

1. प्रस्तावित चौधरी चरण सिहं कांवड मार्ग की परियोजना में केवल मेरठ जनपद में ही लगभग 66000 से ज्यादा पौधे एवं पेडों का पातन अनुमानित है । अतः इस परियोजना में चीफ इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य वन संरक्षक मेरठ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय हुआ था कि अधिक से अधिक पेडों को पास में ही ट्रांसप्लान्ट किया जा सके । ताकि वहां के स्थानीय इको–सिस्टम को एक सीमा तक संतुलित बनाये रखा जा सके ।
2. इतने अधिक पौधों को काटने के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग द्वारा उनके स्वयं के व्यय पर बाउन्ड्री डिमार्केशन किया जाये जिससे कि जो पटरी अतिक्रमित है, वहां पर परियोजना में बाधित पौधों का ट्रांसप्लान्ट किया जा सके एवं नया वृक्षारोपण सम्भव हो सके ।
3. कांवड मार्ग निर्माण के कारणवश सरधना रेंज कार्यालय परिसर एवं आवासीय परिसर में निवास करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा । जिसके दृष्टिगत सभी समुचित उपाय भी किये जायें ताकि भविष्य में सरधना रेंज कार्यालय एवं आवासीय परिसर में रह रहे अधिकारियों/कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से कम से कम नुकसान हो तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा इस प्रतिबद्धता का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
4. नहर की कच्ची पटरी और प्रस्तावित बिटुमिनस रोड के बीच जो जगह बचेगी वह भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी जाये।
5. लोक निर्माण विभाग जनपद मेरठ के स्वामित्व वाली मौजूदा सडक पटरियों के किनारे वृक्षारोपण कराये जाये ताकि जनपद मेरठ के आउट साईड फोरैस्ट के वनावरण (ट्री कवर) में कमी न आ सके ।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ द्वारा जनप्रद मेरठ के अन्तर्गत चौधरी चरण सिहं कॉवड मार्ग के नये निर्माण हेतु गंगा नहर की दांयी पटरी के कि0मी0 108.750 से कि0मी0 151.050 की 84.600 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव जनहित में निमानुसार स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।